अचार के वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को रु 340/– नगद देकर वास्तें नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे ओमप्रकाश विक्रेता एवं मालिक, ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति ओम प्रकाश को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य प्रदार्थ आम का अचार के 1 किलो के चार जार को लेकर प्रत्येक पर लेबल चिपकायें व खाध पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी–858 नमूना लेने की दिनांक ,स्थान दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी–858 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैने हस्ताक्षर किये,फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर स्वयं श्री रामनारायण गुर्जर एफ.एस.ओ. कार्यालय हाजा द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विशलेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के पत्र क्रमांक दिनांक 27.07.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 567/एफएसएसएल/ कोटा/एक्ट/2017/ 577 दिनांक 25.07.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ अचार मिसब्रान्डेड होना पाया गया जांच रिपोर्ट इस्तगासे के साथ संलग्न है। जिसकी सूचना अधिनियम की धारा 46 (4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा मय जांच रिपोर्ट की प्रति के गैर सायलान को भिजवाई गई जिसके विरूद्ध अपील प्राप्त नही हुई है।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन मे यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड द्वारा अपने पत्र कमांक 509 दिनांक 04.12.17 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त केस में गैर सायलान द्वारा खाद्य पदार्थ अचार मिसब्रान्डेड का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में वर्णित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान के जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस मे नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायल नं0 1 की ओर से वकील श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत कर अपनी बहस में अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ गैर सायल नं0 2 से कय कर विकय किया गया था जो सील पेक था जिसमें मिलावट की जाना संभव नही है, गैर सायल को बरी किया जावे गैर सायल नं0 2 द्वारा अनुरोध किया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जावेगा कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन के तथ्य की पुष्टि मे सलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकृषित करते हुऐ कथन किया कि खाद्य पदार्थ अचार मिसब्रान्डेड का विकय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विशलेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायलान से खाद्य पदार्थ अचार मिसब्रान्डेड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से संबंधित दस्तोजन भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये है। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैर सायलान द्वारा खाद्य पदार्थ अचार मिसब्रान्डेड का विक्रय किया गया है।

हमने बहस को सुना व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। गैर सायलान द्वारा खाद्य पदार्थ पदार्थ अचार मिसब्रान्डेड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित होता है। गैर सायलान का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 52 मे उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मददेनजर रखते हुऐ इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल नं0 1. ओमप्रकाश गुप्ता व गैर सायल नं0 2 विरेन्द्र कुमार प्रत्येक को 5000–5000 रूपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावात)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

पीठासीन अधिकारी **भवानीसिंह पालावत** आर०ए०एस

प्रकरण सख्याः–12 / 18 दायरा 08.01.18

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड़

प्रार्थी......................

बनाम

1. ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण विकेता एवं मालिक मैसर्स श्रीनाथ टोबेको ओल्ड सब्जीमंण्डी भवानीमंण्डी।
2. विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री किशनचंद मालिक मैसर्स चॉवला पिकलस इन्डस्ट्री **E 54 (A)IPIA Kota (Raj) 324005**।

गैर सायलान.......

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11) / 52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित– 1– पेरोकार सरकार
2– श्री सुनील कुमार गुप्ता वकील गैर सायल नं0 1
गैर सायल नं0 2 स्वंय

आदेश दिनांकः– 05.02.2018

श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक /एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हू। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधि0 झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिलें के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 14. 07.2017 को समय बाद दोपहर 02.00 बजे मय टीम के मैसर्स श्री नाथ टोबेको ओल्ड सब्जीमंडी भवानीमंडी पर निरीक्षण के लिये पहुंचा। वहा पर ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण खाद्य पदार्थ अचार का विकय का कार्य कर रहे थे, वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/खाद्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ आम का अचार (चॉवला ब्राण्ड)प्लास्टिक जार 1किलो **Bno.05 pkd May 17 Best Before 12 months Chawla pickles Industry E-54 (A) IPIA Kota 324005** के 14 जार जो कि एक पत्थर की अलमारी में रखी हुई थी। जो आम जनता को बेचान की जा रहा था। उसमें मिलावट का संदेह होने पर चार मूल पैक जार आम का

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)